

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04-02-2021

नाराज होकर घर से भाग कर नई दिल्ली पहुँची दो बच्चियों को सकुशल बरामद करते हुए
किया गया परिजनों के सुपुर्द

आज दिनांक 04.02.2021 को उ०नि० श्री बलराम पाण्डेय थाना को० खलीलाबाद द्वारा
दिनांक 02.04.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत सहसरावं माफी की 02
बच्चियाँ प्रीती (उम्र 17 वर्ष) और आँचल (उम्र 10 वर्ष) अपने घर से माँ से किसी बात को
लेकर नाराज होकर किसी तहर नई दिल्ली पहुँच गयी थी जिनको उ०नि० श्री बलराम पाण्डेय व
म०का० रिंकी यादव, म०का० प्रियंका सिंह के अथक प्रयासों व परिवहन विभाग के सहयोग से
आज दिनांक 04.02.2021 को सकुशल बरामद करते हुए समझा बुझाकर उनकी माँ बिट्टू देवी
पत्नी चौथी राम व परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04-02-2021

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 380 रुपये नकद व ताश
के 52 पत्ते बरामद

थाना बखिरा पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्त नाम पता 1 – सुनील पुत्र छविलाल निवासी
राजेडीहा थाना बखिरा 2- रामनरेश पुत्र गोकुल निवासी शक्ति नानकार थाना धर्मसिंहवा 3 – मोहताब
आलम पुत्र महबूब निवासी राजेडीहा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को 360 रुपये मालफड़ व
20 रु० जामा तलाशी तथा ताश के 52 पत्ते के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु०अ०सं० 33 /
2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह, हे०का० गोकर्न पाण्डेय,
का० विनोद ।

02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- जवाहिर दूबे पुत्र रामकरन दूबे निवासी सुम्हा 2-
याकूब अली पुत्र वाजिद अली निवासी पकड़ी अराजी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को
गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह, का0 वीरेन्द्र रावत, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सोनू कुमार, का0 अनीष गौड़ ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1496 द्वारा मारपीट मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्तपाल – पीआरवी 1496 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत पचनवारी से इवेन्ट संख्या 08312 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद के दौरान मे एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से सीएचसी मेहदावल मे भर्ती कराया गया तथा कालर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेहदावल को भेजा गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0 आ0 रामसजन, आ0 विनोद यादव, मु0आ0चा0 महेन्द्र यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 125 वाहनो से 98500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 125 वाहनो से 98500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता
बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ 0 कौस्तुभ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वादी दिवस पर गुमशुदा / अपहृत किशोरियों / बच्चों व महिलाओं को बरामद किये जाने हेतु विवेचकों को दिए गये निर्देश के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 257/20 धारा 363/366 भा0द0वि0 मे वाँछित अभियुक्त नाम पता रंजीत उर्फ चिटू पुत्र श्रीनाथ निवासी ग्राम बसियाजोत थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद भी बरामद किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 15.08.2020 को अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । आज दिनांक 04.02.2021 को अपहृता को बरामद करते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी शनिचरा बाबू उ0नि0 श्री गयासुद्धीन, का0 विकास यादव, म0का0 सविता गुप्ता ।